रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042026-271576
CG-DL-E-04042026-271576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948
No. 235]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

संशोधन

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026

फा. सं. आरए—14026(11)/1/2022—केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 की उप–धारा (2) के खंड (म) के साथ पठित धारा 178 की उप–धारा (1) और धारा 66 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के बाद, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम एवं टिप्पणियां

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2026 है।

1.2 ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधनः

2.1 मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के अंतर्गत उप-खण्ड (छ) के बाद एक नया उपखण्ड (छ–i) शामिल किया जाएगाः

''(छ–i) **'नामित उपभोक्ता'** का वही अर्थ होगा जैसा समय समय से यथासंशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 या उसके किसी पुनराधिनियम के अंतर्गत इसके लिए निर्दिष्ट किया गया है;''

''(ण–i) **''नवीकरणीय उपभोक्ता बाध्यता' या 'आरसीओ'** से गैर जीवाश्म स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा) के उपभोग के न्यूनतम शेयर के लिए समय समय से यथासंशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 14 के खण्ड (ढ) और (भ) या उसके किसी पुनराधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षा अभिप्रेत है;''

2.3 मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के अंतर्गत उप-खण्ड (प) के बाद एक नया उपखण्ड (प–i) शामिल किया जाएगाः

''(प–i) **''वर्चुअल विद्युत क्रय करार' या 'वीपीपीए'** का वही अर्थ होगा जैसा समय समय से यथासंशोधित केविविआ (पावर मार्केट) विनियम 2021 में निर्दिष्ट किया गया है;''

3. मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधनः

3.1 मूल विनियम के विनियम 4 के खण्ड (3) में, ''विद्युत नियमावली 2005 में यथाविहित कैप्टिव उत्पादन संयंत्र की शर्तों की पूर्ति न करने वाले परंतु स्व–उपभोग वाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र सहित'' शब्दों और पदों को ''नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अधारित एक कैप्टिव उत्पादन स्टेशन'' शब्दों और पदों के बाद शामिल किया जाएगा''।

4. मूल विनियम के विनियम 10 का संशोधनः

4.1 मूल विनियम के विनियम 10 के खण्ड (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''(3) प्रमाणपत्रों के जारी करने के लिए आवेदन संबंधित राज्य आयोग द्वारा यथा अवधारित नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं की अधिकता में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के क्रय के बारे में संबंधित राज्य आयोग द्वारा प्रमाणन की तारीख से तीन माह के अन्दर वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता होने से पात्र इकाई द्वारा किया जाएगा।

परंतु कि कोई प्रमाणपत्र उस स्थिति में जारी नहीं किया जाएगा यदि आवेदन संबंधित राज्य आयोग द्वारा प्रमाणन की तारीख से तीन माह अवधि के बाद किया जाता है।''

5. मूल विनियम के विनियम 12 का संशोधनः

5.1 मूल विनियम के विनियम 12 के खण्ड (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''(2) विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर निम्नलिखित उपबंधों द्वारा अधिशासित होगाः

(क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2026 के प्रभाव की तारीख से पूर्व और 05.12.2022 के बाद आरंभ किए गए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित पात्र उत्पादन स्टेशन या कैप्टिव उत्पादन स्टेशन प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर के लिए पात्र होंगे जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया हैः

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर
ऑन–शोर पवन एवं सौर	1
हाइड्रो	1.5
म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू) एवं गैर–जीवाश्म ईंधन–आधारित सहउत्पादन	2
बायोमास और बायोफ्यूल	2.5

(ख) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2026 के प्रभाव की तारीख के बाद आरंभ किए गए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित पात्र उत्पादन स्टेशन या कैप्टिव उत्पादन स्टेशन प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर के लिए पात्र होंगे जैसा कि परिशिष्ट–1 में दर्शाया गया है।''

5.2 मूल विनियम के विनियम 12 के खण्ड (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''(3) इस विनियम के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अंतर्गत कवर नहीं किए गए अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर को परिशिष्ट–1 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित पृथक आदेश के माध्यम से मामला दर मामला आधार पर आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।''

5.3 मूल विनियम के विनियम 12 के खण्ड (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन स्टेशन या कैप्टिव उत्पादन स्टेशन को एक बार निर्दिष्ट प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर इस प्रकार के उत्पादन स्टेशन या कैप्टिव उत्पादन स्टेशन के आरंभ होने की तारीख से पन्द्रह वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगेः

परंतु कि इस प्रकार के पात्र उत्पादन स्टेशन या कैप्टिव उत्पादन स्टेशन के आरंभ होने की तारीख पन्द्रह वर्षों के आगे उनके रजिस्ट्रेशन की वैधता की अवधि के लिए, एक प्रमाणपत्र उत्पादित या अंतक्षेपित या ग्रिड में अंतक्षेपण के लिए डीम्ड विद्युत के मेगावाट घण्टे के लिए जारी किया जाएगा।''

6. मूल विनियम के विनियम 14 के बाद एक नए विनियम को शामिल करनाः

6.1 मूल विनियम के विनियम 14 के बाद एक नया विनियम निम्नानुसार शामिल किया जाएगाः,

''14क. वर्चुअल विद्युत क्रय करार के अंतर्गत प्रमाणपत्रों का निरूपणः

इन विनियमों में होते हुए भी, एक पात्र उत्पादन स्टेशन जिसने वर्चुअल विद्युत क्रय करार में प्रवेश किया है, को जारी किए गए प्रमाणपत्र निम्नलिखित उपबंधों द्वारा अधिशासित होंगेः

(क) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन को जारी किए गए प्रमाणपत्र उन उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता को अंतरित किए जाएंगे जिनके साथ इस प्रकार के उत्पादन स्टेशन ने वर्चुअल विद्युत क्रय करार में प्रवेश किया है।

(ख) वर्चुअल विद्युत क्रय करार के अंतर्गत उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता इस प्रकार के प्रमाणपत्रों के माध्यम से नवीकरणीय क्रय बाध्यता या नवीकरणीय उपभोग बाध्यता, यथास्थिति, की पूर्ति के लिए पात्र होंगे।

(ग) उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता को एक बार अंतरित प्रमाणपत्र समाप्त हो जाएंगेः
परंतु कि आरपीओ या आरसीओ के अतिरिक्त उपभोक्ता या नामित उपभोक्ता के क्रेडिट के लिए प्रमाणपत्रों को भावी वर्षों में अनुपालन के लिए आगे किया जा सकता है लेकिन पावर एक्सचेंजों या व्यापारियों के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

(घ) एक पात्र उत्पादन स्टेशन उस परियोजना के बारे में केन्द्रीय एजेंसी को सूचित करेगी जिसने वर्चुअल विद्युत क्रय करार में प्रवेश किया है।

(ङ) केन्द्रीय एजेंसी उपभोक्ताओं या नामित उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय उपभोक्ता बाध्यता या नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अनुपालन के लिए प्रयुक्त करने के बाद इस प्रकार के प्रमाणपत्रों को समाप्त करेगी और इसके रिकॉर्ड को अद्यतन करेगी।

7. मूल विनियमों के परिशिष्ट–1 का संशोधनः

7.1 मूल विनियमों के परिशिष्ट–1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा;

"प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर के अवधारण के लिए सिद्धांत"

क) प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के टैरिफ रेंज, प्रौद्योगिकी परिपक्वता, और क्षमता क्रेडिट/पीक समर्थन के स्तर के आधार पर अवधारित किया गया है:

(i) टैरिफ रेंज: निम्नलिखित पर आधारित टैरिफ रेंज

क. अधिनियम की धारा 63 के अधीन बोली प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञात नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का टैरिफ;

ख. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं के लिए आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश;

ग. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश;

घ. उपयुक्त आयोग द्वारा अवधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ, यदि कोई हो।

ङ. टैरिफ कारक के लिए स्कोर निम्नलिखित ढंग से प्रदान किए गए हैं:

टैरिफ रेंज	**स्कोर**
<=4	0
4–6	20
6–8	40
8–10	60
10–12	80
12 से अधिक	100

(ii) प्रौद्योगिकी परिपक्वता:

क. प्रौद्योगिकी परिक्वता को प्रारंभिक या आर एंड डी चरण में प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ, पूर्णतया व्यवसायीकृत (समर्थन सहित या उसके बिना) से लेकर सीमित या साइट–विनिर्दिष्ट व्यवसायीकरण वाली प्रौद्योगिकियों तक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख. प्रौद्योगिकी परिपक्वता के लिए स्कोर निम्नलिखित ढंग से प्रदान किए गए हैं:

प्रौद्योगिकी परिक्वता	**स्कोर**
बिना किसी प्रचार उपायों के पूर्णतया व्यवसायीकरण	**0**
पूर्णतया व्यवसायीकृत परंतु इसकी क्षमता का दोहन अभी भी बाकी है	**20**
भारत में सीमित व्यवसायीकरण	**40**
साइट विनिर्दिष्ट क्षमता मौजूद है	**60**
प्रारंभिक चरण, परंतु क्षमता मौजूद है	**80**
आर एंड डी चरण	**100**

(iii) क्षमता क्रेडिट/पीक समर्थन:

क. क्षमता क्रेडिट/पीक समर्थन के स्तर को "शून्य" से "अति उच्च" स्तरों के साथ ध्यान में रखा गया है जो कि ग्रिड की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया देने की प्रौद्योगिकी की क्षमता पर निर्भर करते हैं।

ख. क्षमता क्रेडिट/पीक समर्थन के लिए स्कोर निम्नलिखित ढंग से प्रदान किए गए हैं:

क्षमता क्रेडिट/पीक समर्थन	स्कोर
शून्य	0
अति निम्न	20
निम्न	40
मध्यम	60
उच्च	80
अति उच्च	100

ख) इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त तीनों कारकों के लिए महत्व निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

टैरिफ रेंज	प्रौद्योगिकी परिपक्वता	क्षमता क्रेडिट/पीक समर्थन
40%	30%	30%

ग) इस परिशिष्ट के खंडों (क) और (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रदान किया गया प्रमाणपत्र मल्टीप्लायर निम्नानुसार है:

प्रौद्योगिकी	टैरिफ कारक	प्रौद्योगिकी परिपक्वता	क्षमता क्रेडिट/पीक समर्थन	एसयूएम	आरईसी मल्टीप्लायर (न्यूनतम प्रौद्योगिकी स्कोर के आधार पर सामान्यीकृत और पूर्णांकित)
महत्व —— >>	**40%**	**30%**	**30%**		
सौर	0	40	20	18	1.0
पवन	0	20	40	18	1.0
बायोमास / बायोफ्यूल	80	40	40	56	3.0
एसएचपी	40	60	40	46	2.5
पम्पप्ड हाइड्रो	60	40	80	60	3.0
कोजेन	80	40	40	56	3.0
वृहत हाइड्रो	40	60	60	52	3.0
ऑफशोर पवन	100	60	60	76	4.0
एमएसडब्लयू	80	40	40	56	3.0
बीईएसएस*	40	60	80	58	3.0
हाइब्रिड आरई	0	40	40	24	1.5

नोटः *बीईएसएस केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा प्रभारित।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./03/2026-27]

नोटः केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2022 दिनांक 24.05.2022 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खंड 4, सं.272 में प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

AMENDMENT

New Delhi, the 24th March, 2026

F. No. RA-14026(11)/1/2022-CERC.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 178 and Section 66 read with clause (y) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations") as under: -

1. Short Title and Comments

1.1 These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) (First Amendment) Regulations, 2026.

1.2 These Regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:

2.1 A new sub-clause (g-i) shall be inserted after sub-clause (g) under clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:
"(g-i) 'Designated Consumer' shall have the same meaning as assigned to it under the Energy Conservation Act, 2001, as amended from time to time or any reenactment thereof;"

2.2 A new sub-clause (o-i) shall be inserted after sub-clause (o) under clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:

"(o-i) 'Renewable Consumption Obligation' or 'RCO' means the requirement specified by the Central Government under clauses (n) and (x) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001, as amended from time to time or any reenactment thereof, for the minimum share of consumption of non-fossil sources (renewable energy);"

2.3 A new sub-clause (u-i) shall be inserted after sub-clause (u) under clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:

"(u-i) 'Virtual Power Purchase Agreement' or 'VPPA' shall have the same meaning as assigned to it under the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021, as amended from time to time or any reenactment thereof;"

3. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations:

3.1 In clause (3) of Regulation 4 of the Principal Regulations, the words and expression "including renewable energy generating plant not fulfilling the conditions of captive generating plant as prescribed in the Electricity Rules, 2005 but having self-consumption," shall be inserted after the words and expression "A captive generating station based on renewable energy sources".

4. Amendment to Regulation 10 of the Principal Regulations:

4.1 Clause (3) of Regulation 10 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(3) Application for issuance of Certificates shall be made by an eligible entity, being a distribution licensee or an open access consumer, within three months from the date of certification by the concerned State Commission about the purchase of electricity from renewable energy sources in excess of the renewable purchase obligations as determined by the concerned State Commission.

Provided that no Certificate shall be issued in case the application is made beyond the period of three months from the date of certification by the concerned State Commission."

5. Amendment to Regulation 12 of the Principal Regulations:

5.1 Clause (2) of Regulation 12 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:

"(2) The Certificate Multiplier for different renewable energy sources shall be governed by the following provisions:

(a) The eligible generating stations or captive generating stations based on renewable energy sources, commissioned after 05.12.2022 and before the date of effect of the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) (First Amendment) Regulations, 2026, shall be entitled to the Certificate Multiplier as indicated in the following table:

Renewable Energy Sources	Certificate Multiplier
On-shore Wind and Solar	1
Hydro	1.5
Municipal Solid Waste (MSW) and non-fossil fuel-based cogeneration	2
Biomass and Biofuel	2.5

(b) The eligible generating stations or captive generating stations based on renewable energy sources, commissioned after the date of effect of the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) (First Amendment) Regulations, 2026, shall be entitled to the Certificate Multiplier as indicated in Appendix-1."

5.2 Clause (3) of Regulation 12 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:

"(3) The Certificate Multiplier for other renewable energy sources, not covered under sub-clause (b) of clause (2) of this Regulation, shall be determined by the Commission, on a case-by-case basis through a separate order based on the principles stipulated in Appendix-1."

5.3 Clause (4) of Regulation 12 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:

"(4) The Certificate Multiplier, once assigned to an eligible generating station or a captive generating station based on renewable energy sources, shall remain valid for a period of fifteen years from the date of commissioning of such generating station or captive generating station:

Provided that for the period of validity of their Registration beyond fifteen years from the date of commissioning of such eligible generating station or captive generating station, one Certificate shall be issued for one Megawatt hour of electricity generated and injected or deemed to be injected into the grid."

6. Insertion of a new Regulation after Regulation 14 of the Principal Regulations:

6.1 A new Regulation shall be inserted after Regulation 14 of the Principal Regulations, as under:

"14A. Treatment of Certificates under the Virtual Power Purchase Agreement:

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Certificates issued to an eligible generating station that has entered into a virtual power purchase agreement shall be governed by the following provisions:

(a) The Certificates issued to the renewable energy generating station shall stand transferred to the consumer or the designated consumer with whom such generating station has entered into a virtual power purchase agreement.
(b) The consumer or the designated consumer under the virtual power purchase agreement shall be eligible to meet its renewable purchase obligation or renewable consumption obligation, as the case may be, by way of such Certificates.
(c) The Certificates, once transferred to the consumer or the designated consumer, shall stand extinguished:

Provided that the certificates to the credit of the consumer or the designated consumer over and above the RPO or RCO can be carried forward for compliance in future years, but shall not be available for sale in the power exchanges or through traders.

(d) An eligible generating station shall inform the Central Agency about the Project that has entered into a virtual power purchase agreement.

(e) The Central Agency shall extinguish such Certificates after they are used for compliance with the Renewable Purchase Obligation or Renewable Consumption Obligation by the consumers or the designated consumers, and update its record."

7. Amendment to Appendix-1 of the Principal Regulations:

7.1 Appendix-1 of the Principal Regulations shall be substituted by the following;

"Principles for Determination of Certificate Multiplier

A) Certificate Multiplier has been determined based on the Tariff Range, Technology Maturity, and level of Capacity Credit / Peal Support of various renewable energy sources, by taking into account the following:

(i) **Tariff Range: Tariff range based on**

a. Tariffs of renewable energy projects discovered through the bidding process under Section 63 of the Act;

b. Tariff Orders issued by the Commission for projects based on various Renewable Energy Sources;

c. Tariff Orders issued by State Electricity Regulatory Commissions for Renewable Energy Projects;

d. Renewable Energy Project Specific Tariffs determined by the Appropriate Commission, if any.

e. Scores have been assigned for the Tariff Factor in the following manner:

Tariff Range	**Score**
<=4	0
4-6	20
6-8	40
8-10	60
10-12	80
Above 12	100

(ii) **Technology Maturity:**

a. Technology maturity is categorised from fully commercialised (with or without support) to those with limited or site-specific commercialisation, as well as technologies at the nascent or R&D stage.

b. Scores have been assigned for Technology Maturity in the following manner:

Technology Maturity	Score
Fully commercialised without any promotional measures	0
Fully commercialised but potential still to be harnessed	20
Limited commercialisation in India	40
Site Specific Potential Exists	60
Nascent stage, but potential exists	80
R & D Stage	100

(iii) **Capacity Credit/ Peak Support:**

a. The level of Capacity Credit/ Peak Support has been considered, with levels ranging from "Nil" to "Very High", depending on the capability of the technology to respond to grid requirements.

b. Scores have been assigned for Capacity Credit / Peak Support in the following manner:

Capacity Credit/ Peak Support	Score
Nil	0
Very Low	20
Low	40
Medium	60
High	80
Very High	100

B) Further, weightage has been assigned against the aforesaid three factors as under:

Tariff Range	Technology Maturity	Capacity Credit / Peak Support
40%	30%	30%

C) Based on the principles specified under clauses (A) and (B) of this Appendix, the Certificate Multiplier assigned to various renewable energy sources, is as follows:

Technology	Tariff Factor	Technology Maturity	Capacity Credit/ Peak Support	SUM	REC Multiplier (Normalised based on Minimum tech. score and rounded off)
Weightage ---- >>	40%	30%	30%		
Solar	0	40	20	18	1.0
Wind	0	20	40	18	1.0
Biomass / Biofuel	80	40	40	56	3.0
SHP	40	60	40	46	2.5
Pumped Hydro	60	40	80	60	3.0
Cogen	80	40	40	56	3.0
Large Hydro	40	60	60	52	3.0
Offshore Wind	100	60	60	76	4.0
MSW	80	40	40	56	3.0
BESS*	40	60	80	58	3.0
Hybrid RE	0	40	40	24	1.5

Note: * BESS charged by Renewable Energy Sources only.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./03/2026-27]

Note: The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022, were published in Part III, Section 4, No. 272 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 24.05.2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA